पत्र संख्या–6/योजना–01–1026/2013 गृ0आ0..................../

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक   फरवरी, 2016

विषयः– **बिहार राज्य में आतंकवाद निरोधक दस्ता के उपयोग हेतु आग्नेयास्त्र, गतिशिलता, संचार, निगरानी उपकरण, डॉग दस्ता हेतु प्रशिक्षित डॉग, कार्यालय स्वचालन, जेनरेटर, बम डिसपोजल/एन्टी सबोटेज उपकरण, विधि विज्ञान प्रयोगशाल हेतु उपकरण, चिकित्सा दल के लिए उपकरण आदि के क्रय के लिए कुल विमुक्त राशि ₹ 1183.81 लाख (ग्यारह करोड़ तेरासी लाख इक्कासी हजार रू0) के विरूद्ध डेस्कटॉप, लैपटॉप तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के क्रय के निमित्त ₹ 26,18,291 (छब्बीस लाख अठारह हजार दो सौ एकानवे रू0) की अग्रिम निकासी की स्वीकृति देने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), बिहार, पटना के पत्रांक–5878/आपूर्ति, दिनांक–28.12.2015 के संबंध में कहना है कि गृह विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या–4079, दिनांक–16.06.2015 द्वारा बिहार राज्य में आतंकवाद निरोधक दस्ता के उपयोग हेतु आग्नेयास्त्र, गतिशिलता, संचार, निगरानी उपकरण, डॉग दस्ता हेतु प्रशिक्षित डॉग, कार्यालय स्वचालन, जेनरेटर, बम डिसपोजल/एन्टी सबोटेज उपकरण, विधि विज्ञान प्रयोगशाल हेतु उपकरण, चिकित्सा दल के लिए उपकरण आदि के क्रय के लिए कुल ₹ 1183.81 लाख (ग्यारह करोड़ तेरासी लाख इक्कासी हजार रू0) विमुक्त की गयी है। उक्त विमुक्त राशि के विरूद्ध डेस्कटॉप, लैपटॉप तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के क्रय के निमित्त ₹ 26,18,291 (छब्बीस लाख अठारह हजार दो सौ एकानवे रू0) की अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561, दिनांक–17.04.1998 की कंडिका–15 में निहित प्रावधान एवं शर्त्तों के आलोक में उक्त राशि की अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी जाती है।

3. उपर्युक्त राशि ₹ 26,18,291 (छब्बीस लाख अठारह हजार दो सौ एकानवे रू0) राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या–22 के बजट मुख्य शीर्ष "2055–पुलिस, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–115–पुलिस बल का आधुनिकीकरण, उपशीर्ष–0102–पुलिस प्रशासन एवं ढॉचागत सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु" विपत्र कोड P2055001150102 एवं राज्य योजना स्कीम कोड– HOM–5416 तथा विषयशीर्ष– 52 01–मशीने एवं उपस्कर के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

5. राशि की निकासी कर बेल्ट्रॉन के पी0एल0 खाते में जमा किया जायेगा।

6. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

7. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यकतानुसार कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

9. उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीन माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

10. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

11. उपर्युक्त पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0:–6/योजना–01–1026/2013 गृ0आ0.....868...../ पटना, दिनांक 4 फ़रवरी, 2016

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना/अपर पुलिस महानिदेशक, (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना/ पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (ए0टी0एस0), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव
3.2.16